न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 199/2013
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

जवाहरलाल आत्मज स्व. श्री बीरबलराम, सुथार, रोहिड़ांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
.....**वादी**

बनाम

1. मनीराम आत्मज स्व. श्री बीरबलराम, सुथार, रोहिड़ांवाली,
2. रायसाहब उर्फ साहबराम(मृत)
   2.1. श्रीमती रूकमणीदेवी@रूकमा धर्मपत्नी श्री साहबराम, सुथार, रोहिड़ांवाली,
   2.2. श्रीमती सुनीतादेवी आत्मजा श्री साहबराम धर्मपत्नी श्री रामगोपाल मण्डन, सुथार, गुड़गांव (हरियाणा)
   2.3. श्रीमती राजेश्वरी आत्मजा श्री साहबराम धर्मपत्नी श्री बाबूराम, सुथार, न्यू आवासन मण्डल कालोनी, सूरतगढ,
   2.4. महेन्द्रकुमार आत्मज श्री साहबराम, सुथार, सिहाग कालोनी, श्रीगंगानगर,
   2.5. जसवन्त आत्मज श्री साहबराम, सुथार, सिहाग कालोनी, श्रीगंगानगर
3. अमरचन्द आत्मज स्व. श्री बीरबलराम, सुथार, रोहिड़ांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. लालचन्द आत्मज स्व. श्री बीरबलराम, सुथार, अग्रसेननगर, ओमप्रकाश चोटाला के मकान के पास, श्रीगंगानगर,
5. श्रीमती शान्तिदेवी धर्मपत्नी श्री भैराराम, सुथार बोदलिया, श्यामगढ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर,
6. श्रीमती राधादेवी धर्मपत्नी स्व. श्री भागीरथ, सुथार करल, साहबूआना तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर(पंजाब),
7. श्रीमती सन्तरोदेवी धर्मपत्नी श्री बृजलाल, सुथार माकड़, कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर,
8. श्रीमती गुड़ीदेवी धर्मपत्नी श्री सोहनलाल, सुथार दायमा, फतही तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
9. रामेश्वर आत्मज श्री शंकरलाल, बिश्नोई, रोहिड़ांवाली सुथासन तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
10. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर,
11. एम.जी.बी.ग्रामीण बैंक शाखा–कोनी द्वारा शाखा प्रबन्धक एवं
12. श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोनी द्वारा शाखा प्रबन्धक.

.....**प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उपस्थिति– श्री मोहनलाल माहर (वादी)
श्री काशीराम रिणवां (प्रतिवादी–3से7)
श्री रामगोपाल स्वामी (प्रतिवादी–8)
श्री सुभाष सहगल (प्रतिवादी–4)

पैरोकार राज (प्रतिवादी–10)

दिनांक 05 सितम्बर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 2 पी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1 से 7 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 10, 11, 14, 17 से 25 प्रत्येक सालम कुल 4.632 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 35 किला नम्बर 5/2(0.025) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 1 से 7(2.277) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 16(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 17 से 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24/2(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 25(0.228) हैक्टर, कुल 1.594 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 21(0.126) हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 72/25 में 0.051 हैक्टर कुल 8.705 हैक्टर एतद्द्वारा 34.18 बीघा कृषि भूमि वादी के पिता को वादी के दादा से प्राप्त हुई है. वादी के पिता स्व. श्री बीरबलराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य कर दिया था जिसके अनुसार वादी श्री जवाहरलाल को मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 5, किला नम्बर 6(0.18) बीघा, किला नम्बर 21(0.10) बीघा, किला नम्बर 22 से 25(4.00) बीघा, एवं मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 15(0.10) बीघा, कुल 6.18 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 श्री मनीराम को मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 2(0.12) बीघा, किला नम्बर 3 से 7(5.00) बीघा, किला नम्बर 14(1.00) बीघा, किला नम्बर 15(0.10) बीघा कुल 7.02 बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 श्री रायसाहब उर्फ साहबराम को मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 3 व 4(2.00) बीघा, किला नम्बर 7(0.18) बीघा, किला नम्बर 14 एवं 17 से 19(4.00) बीघा कुल 6.18 बीघा, प्रतिवादी संख्या 3 श्री अमरचन्द को मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1, 2, 10, 11, 20(5.00) बीघा, किला नम्बर 21(0.10) बीघा, मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 1(1.00) बीघा, किला नम्बर 8(0.08) बीघा, मुरब्बा नम्बर 35 किला नम्बर 5/2(0.02) बीघा कुल 7.00 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 4 श्री लालचन्द को मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 16(0.18) बीघा, किीला नम्बर 17 से 20(4.00) बीघा, किला नम्बर 24/2(0.10) बीघा, किला नम्बर 25(0.18) बीघा, मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 21(0.10) बीघा, मुरब्बा नम्बर 72/25(0.04) बीघा गैर मुमकिन खाल कुल 7.00 बीघा दी गयी. इसी घरू बंटवारा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज हैं. प्रतिवादी संख्या 4 श्री लालचन्द जो श्रीगंगानगर में व्यवसाय करना चाहता था, द्वारा उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में उसके पिता के नाम होने के कारण पिता की ओर से विक्रय विलेख पंजीबद्व करवाकर कुल प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा स्वयं प्राप्त कर ली तथा श्रीगंगानगर में निवास कर अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया गया. वादी के पिता द्वारा उक्त घरू बंटवारानामा को लागू करने एवं अपनी स्वतन्त्र इच्छा से दिनांक 11 नवम्बर, 1992 को प्रतिवादी संख्या 4 श्री लालचन्द को बंटवारा में प्राप्त भूमि उसके कहे अनुसार विक्रय करने के बाद शेष भूमि की बाबत बन्द वसीयत साक्षीगण के समक्ष निष्पादित की गयी जिसमें प्रतिवादी–4 श्री

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

लालचन्द साक्षी है. प्रतिवादी संख्या 4 एक तेजतर्रार व्यक्ति है. वादी के पिता श्री बीरबलराम की दिनांक 9 जुलाई, 1997 को मृत्यु हो गयी. प्रतिवादी संख्या 4 को वसीयत का प्रारम्भ से ही ज्ञान रहा है. वादी गांव का अनपढ़ एवं भोलाभाला व्यक्ति है प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ मिलीभगत कर वसीयत के तथ्य को छिपाते हुऐ विधि विरूद्व एवं गलत तरीका से विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 से दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दर्ज करवा ली गयी. स्व. श्री बीरबलराम निर्वसीयत फौत नहीं हुआ बल्कि उनके द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत वसीयत द्वारा उत्तराधिकारी घोषित कर दिये थे. वसीयत के लागू होने से प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का प्रश्नगत भूमि में कोई हित न्यायगत नहीं हुआ. इस प्रकार जब कानूनन प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक ही नहीं था तो उन्हें दस्तबरदारी करने का भी कोई अधिकार नहीं था. विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार एक हिस्सेदार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में दस्तबरदारी नहीं की जा सकती बल्कि समस्त उत्तराधिकारियों के पक्ष में ही दस्तबरदारी की जा सकती है. वसीयत के बावजूद विधि विरूद्व रूप से विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 जिसका प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं था, द्वारा राजस्व अभिलेखों में गलत तरीका से विधि विरूद्व दर्ज करवाये गये विरासतन नामान्तरकरण के परिदृश्य कब्जा न होते हुऐ भी राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर प्रश्नगत कृषि भूमि में से छिपे तौर पर 0.588 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 11 के अधीन बंधक रख दी गयी. करीब 15 दिवस पूर्व प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा धमकी दी गयी कि प्रश्नगत कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया गया है तथा जल्दी ही उसके नाम पर दर्ज की गयी भूमि का कब्जा छीनकर विक्रय कर देगा. जिस पर वादी द्वारा अभिलेखों की जांच की तब उसे विरासतन नामान्तरकरण, दस्तबरदारी एवं प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कृषि भूमि को बंधक रखे जाने की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर वादी द्वारा पारिवारिक पंचायत की गयी. जिसमें श्री रतनलाल आत्मज श्री कृष्णलाल द्वारा यह प्रकट करने पर कि स्व. श्री बीरबलराम द्वारा घरू बंटवारा के अनुसार वसीयत करवायी थी जो उसकी मृत्योपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ने खुलवाई है, से ही वादी को वसीयत की प्रथमतः जानकारी हुई है जिससे वादी द्वारा वसीयत की प्रतिलिपि प्राप्त की गयी है. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 परस्पर मिले हुऐ हैं तथा वादी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से समस्त कार्यवाही गलत व विधि विरूद्व रूप से की गयी है तथा राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्ठि के आधार पर वादी को उसके कब्जा काश्त से बेदखल करने में प्रयासरत हैं. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है. वादी द्वारा गत सप्ताह प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को निवेदन किया गया कि घरू बंटवारा एवं वसीयत के अनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन करवावें तथा वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये. यदि प्रतिवादीगण वादी के अधिपत्य एवं धारण की भूमि में हस्तक्षेप करने एवं भूमि को विक्रय अथवा अन्तरित करते हैं तो वादी को अपरिमेय क्षति होगी. जिसके लिये प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के कब्जा काश्त में

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (मुख्यालय) श्रीगंगानगर

हस्तक्षेप नहीं करने तथा अन्यत्र बंधक एवं विक्रय नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञ प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 2 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 40/34 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1 से 7 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 10, 11, 14, 17 से 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नम्बर 35 किला नम्बर 5/2(0.025) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 1 से 7(2.277) हैक्टर, मय गैर मुमकिन कुल 7.060 हैक्टर में से ¼ हिस्सा की बाबत वादी को खातेदार घोषित करने, मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 5, 6, में 0.18 बीघा, किला नम्बर 21(0.10) बीघा, किला नम्बर 22 से 25(4.00) बीघा, मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 15(0.10) बीघा कुल 6.18 बीघा का खाता विभाजन करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व खाता संख्या 40/34 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1 से 7 प्रत्येक 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 10, 11, 14, 17 से 25 सालम 4.632 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 35 किला नम्बर 5/2(0.025) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 1 से 7(2.277) हैक्टर, मय गैर मुमकिन कुल 7.060 हैक्टर भूमि के किसी भी भाग को अन्यत्र बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित शपथपत्र दिनांक 11 सितम्बर, 1992, श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 11 सितम्बर, 1992, श्री मनीराम द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 अगस्त, 1997, श्री हेमाराम द्वारा निष्पादित शपथपत्र दिनांक 11 अगस्त, 1997, श्री रतनलाल द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 अगस्त, 1997, ग्राम पंचायत राहिड़ांवाली द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 7 अगस्त, 1997, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 सितम्बर, 1989, चक 2 पी बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 152, सिचाई विभाग द्वारा जारी सिंचाई शुल्क रबी 2008–2009, जमाबन्दी सम्बत् 2064–2067 की प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 2, 3 से 5, 8 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 1, 7 एवं 8 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने के कारण आदेश दिनांक 23 जून, 2010 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 7 एवं 8 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 1, 6 से 7, 10 से 12 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को पंजीबद्व करवाये गये. नियमानुसार अवधि व्यतीत होने पर भी उपस्थित नहीं होने के परिणामतः आदेश दिनांक 14 मई, 2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 6, 10 से 12 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.4 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन दिनांक 30 मई, 2015 को पंजीबद्व करवाये गये नियमानुसार निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.4 को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं के परिणामतः आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2015 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रतिवादी संख्या 2 एवं 5 की ओर से जवाब वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2014 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 4 में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया.

प्रतिवादी संख्या 5 से 7 उक्त भूमि में से कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती थी किन्तु विरासतन नामान्तरकरण दर्ज हो गया था इस कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता श्री बीरबलराम द्वारा करवायी गयी वसीयत एवं बंटवारा को सम्मान देते हुऐ अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दस्तबरदार हो गये थे. प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती शान्तिदेवी द्वारा अपने हिस्सा की दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 2 के हक में निष्पादित एवं पंजीबद्व करवा दी गयी. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा अपने हिस्सा की दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पक्ष में निष्पादित करवा दी गयी. श्री बीरबलराम द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत निष्पादित करने से प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को इस भूमि में से कोई हक व हिस्सा मिला या नहीं मिला प्रतिवादी संख्या 5 से 7 दस्तबरदारी करवा सकते थे या नहीं? कानूनी मामला है. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का परस्पर मिले होना, वादी को नुकसान पहुंचाने के उदेश्य से अंकित तथ्य गलत हैं. विरासतन नामान्तरकरण की कुल कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा ही करवायी गयी है और वादी को बेदखल करने की सोच व योजना है तो प्रतिवादी संख्या 4 की ही होगी. जिससे प्रतिवादी संख्या 2 व 5 का कोई सम्बन्ध नहीं है. वादी द्वारा चाही गयी स्थायी निषेधाज्ञा यदि जारी कर दी जाती है तो प्रतिवादी संख्या 2 व 5 को कोई आपत्ति नहीं है. **अतिरिक्त कथनों एवं प्रतिवादपत्र** में अंकित किया गया कि मिन प्रतिवादी प्रश्नगत कृषि भूमि में से ¼ हिस्सा का खातेदार है. जिसके पिता द्वारा घरू बंटवारा दिनांक 7 जनवरी, 1991 से प्रतिवादी संख्या 2 को चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 3 व 4, किला नम्बर 7(0.18) बीघा, किला नम्बर 14, 17 से 19(4.00) बीघा कुल 6.18 बीघा भूमि दी गयी. जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज होकर काश्त कर रहा है. अतिरिक्त, प्रतिवादी के पिता श्री बीरबलराम द्वारा इकरारनामा दिनांक 24 अगस्त, 1996 द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को देने तथा प्रतिवादी संख्या 4 श्री लालचन्द द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि को विक्रय करवाने की पुष्टि कर दी गयी. इसके साथ ही, प्रतिवादी संया 2 के पिता श्री बीरबलराम द्वारा अपनी वसीयत दिनांक 11 नवम्बर, 1992 में भी उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को दे दी. इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 माननीय न्यायालय के माध्यम से उसके कब्जाधीन कृषि भूमि विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है. प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती शान्तिदेवी द्वारा अपने हिस्सा को पंजीबद्व दस्तबरदारी दिनांक 09 जुलाई, 2004 द्वारा अपने हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क कर दिया था जिससे प्रतिवादी संख्या 2 कुल प्रश्नगत कृषि भूमि में से कुल 7.060 हैक्टर का ¼ हिस्सा का हकदार है जिसकी घोषणा करवाने एवं विभाजन में उक्त भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है. प्रतिवादी सख्या 4 श्री लालचन्द द्वारा अपने हिस्सा की भूमि अपने पिता श्री बीरबलराम से विक्रय करवाकर कुल मौकिल स्वयं प्राप्त कर चुका है जिससे वह अपना व्यवसाय कर रहा है और अपने पिता श्री बीरबलराम व अन्य प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से अलग हो गया था ऐसी स्थिति में, श्री बीरबलराम की मृत्योपरान्त शेष भूमि 7.060 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 4 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है. किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा विरासतन नामान्तरकरण करवाकर जमाबन्दी में उसका नाम शामिल किया गया है को प्रतिवादी संख्या 2

संशोधित करवाकर प्रतिवादी संख्या 4 का नाम हटवाने का अधिकारी है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 5 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 34 व 45 की 7.060 हैक्टर कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 को ¼ हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुऐ मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3 व 4 किला नम्बर 7(0.18) बीघा, किला नम्बर 14, 17 से 19(4.00) बीघा कुल 6.18 बीघा भूमि विभाजन में प्राप्त करने एवं प्रतिवादी संख्या 4 श्री लालचन्द का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 26 जून, 2012 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी के पिता श्री बीरबलराम को वादी के दादा श्री भोमाराम से चक 2 पी बड़ी के 34.18 बीघा कृषि भूमि हिस्सा में प्राप्त हुई जिसके साथ साथ वादी के पिता श्री बीरबलराम को चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 9 के 8.00 बीघा कृषि भूमि विरासत में प्राप्त हुई इस प्रकार स्व. श्री बीरबलराम को कुल 12.18 बीघा कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई थी. वादी के पिता स्व. श्री बीरबलराम द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य घरू बंटवारा नहीं किया गया. स्व. श्री बीरबलराम द्वारा विरासत में प्राप्त चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 व 2(2.00) बीघा, किला नम्बर 8 से 12(4.00) बीघा, किला नम्बर 19 से 20(2.00) बीघा कुल 8.00 बीघा कृषि भूमि श्री रायसाहब व श्रवणकुमार आत्मजन श्री रामरख बिश्नोई, रोहिड़ांवाली को विक्रय विलेख दिनांक 13 जनवरी, 1988 द्वारा विक्रय कर दी गयी इसी प्रकार चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 16(0.18) बीघा, किला नम्बर 17 से 20(4.00) बीघा, किला नम्बर 24/2(0.10) बीघा, किला नम्बर 25(0.18) बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 21(0.10) बीघा, 0.04 बीघा गैर मुमकिन खाल कुल 7.00 बीघा का विक्रय विलेख दिनांक 7 सितम्बर, 1989 द्वारा श्री सहीराम, श्री रणजीतराम, श्री रामस्वरूप, श्री जगदीशचन्द्र, श्री बनवारीलाल आत्मजन श्री हीराराम, सुथार, रोहिड़ांवाली को विक्रय कर दिया गया था. इससे स्पष्ट है कि स्व. श्री बीरबलराम द्वारा अपने जीवनकाल में कृषि भूमि का कोई बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य में नहीं किया गया. इसलिये श्री बीरबलराम की मृत्योपरान्त विरासतन नामान्तरकरण संयुक्त रूप से दर्ज किया गया है. श्री बीरबलराम द्वारा अपनी घरू आवश्यकताओं के लिये ही अपने जीवनकाल में मुरब्बा नम्बर 9 के 2.00 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 48 के 7.00 बीघा कुल 9.00 बीघा कृषि भूमि का विक्रय का विक्रय राशि का अपनी आवश्यकतानुसार व्यय किया गया है प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपनी आय व मेहनत से अपना व्यवसाय किया गया है. विरासतन नामान्तरकरण कानूनी प्रकिया को अपनाते हुऐ सभी पक्षकारों को सुन कर अभिलेखों के आधार पर दर्ज किया गया है. स्व. श्री बीरबलराम द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं करवायी गयी न ही उसे प्रश्नगत कृषि भूमि की वसीयत करने का कानूनन अधिकार था. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें श्री भोमाराम के पोत्र, पोत्रियां अर्थात श्री बीरबलराम व उसकी सन्तान का जन्म से बराबर का हक था. यदि कोई वसीयत होना अंकित किया गया है तो वह गैर कानूनी है तथा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रारम्भ से ही शून्य है. जो प्रतिवादी संख्या 4 के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. विरासतन नामान्तरकरण द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर 0.588 हैकटर कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज की गयी जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 का साधिकार कब्जा है. प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पूर्ण प्रकिया अपनाने के बाद ही ऋण स्वीकृत किया गया है. प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है विधि अनुसार संयुक्त कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च पर सहखातेदार का समान अधिकार है तथा संयुक्त खातेदार की भूमि में सहकाश्तकार के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती. अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में 0.588 हैक्टर खातेदारी दर्ज है. तथा चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 23(0.082) हैक्टर, किला नम्बर 24(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 25(0.253) हैक्टर कुल 0.588 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा काश्त है जिसके लिये ही प्रतिवादी संख्या 4 विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है. स्व. श्री बीरबलराम द्वारा अपने जीवनकाल में जो भी भूमि का विकय किया गया उसकी राशि स्वयं प्राप्त कर अपने परिवार पर व्यय की गयी है अपनी घरू आवश्यकतानुसार ही भूमि का विकय किया गया है जिसका विकय प्रतिफल न तो प्रतिवादी संख्या 4 को प्राप्त हुई व न ही ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 2 पी बड़ी का नामान्तरकरण संख्या 66, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 8 जनवरी, 1986, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 सितम्बर, 1989, खसरा गिरदावरी सम्बत् 2065, खसरा गिरदावरी सम्बत् 2067, खसरा गिरदावरी सम्बत् 2064, सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई कर की रसीद संख्या 356/44 दिनांक 14 अगस्त, 2011 की प्रतियां संलग्न प्रस्तुत किये गये.

वादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 6 नवम्बर, 2012 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 श्री मनीराम आत्मज श्री बीरबलराम की दिनांक 2 फरवरी, 2012 को मृत्योपरान्त उसके वारिसान सर्वश्रीमती गोमतीदेवी, श्री गोपीराम पुत्र, श्री सुभाष पुत्र, श्री जगदीश पुत्र एवं श्रीमती कमला पुत्री है जिन्हें मृतक प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का निवेदन किया गया. जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने पर आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 20 जनवरी, 2014 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार सही दर्ज नहीं की गयी है तथा शेष बिन्दु वादी स्वयं सिद्व करने का अंकित किया गया. इस प्रकार राज्यहित को ध्यान में रखते हुऐ निर्णय लिये जाने का निवेदन किया गया.

वादी द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 3 फरवरी, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार हम पक्षकार में परस्पर राजीनामा हो चुका है इसलिये वादी इस वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है. इस प्रकार विचाराधीन प्रकरण को आज की तारीख पेशी में लिया जाकर प्रकरण के प्रत्याहरण को स्वीकार करने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया. जिसकी पहचान वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल माहर द्वारा किये जाने के परिणामतः आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2015 को प्रकरण नस्तीबद्व किया गया.

आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2015 को वादी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने के परिदृश्य पत्रावली नस्तीबद्व किये जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 09 फरवरी, 2015 पर न्यायोचित विनिश्चय के परिणामतः पत्रावली में प्रस्तुत काउण्टरक्लेम के विनिश्चिय हेतु पत्रावली पर पुनःविचारण हेतु स्वीकार की गयी.

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आवेदनपत्र दिनांक 09 फरवरी, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र संख्या 199/2013 शीर्षक जवाहरलाल बनाम मनीराम व अन्य को वादी द्वारा प्रत्याहरित करने के कारण पत्रावली दिनांक 3 फरवरी, 2015 को नस्तीबद्व की गयी है जबकि प्रतिवादी द्वारा जवाब वादपत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था ऐसी स्थिति में, काउण्टरक्लेम का निर्धारण किया जाना बाकी है. वादी द्वारा वादपत्र का प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता. इस प्रकार विचाराधीन पत्रावली को पुनः नम्बर पर दर्ज किया जाकर काउण्टर क्लेम का यथा निर्धारण किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 09 फरवरी, 2015 द्वारा पत्रावली पर पुर्नविचारण स्वीकार किया गया.

श्री महेन्द्रकुमार आत्मज श्री साहबराम की ओर से अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 2015 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 2 श्री रायसाहब उर्फ साहबराम आत्मज श्री बीरबलराम की मृत्यु दिनांक 18 अगस्त, 2015 को होने के पश्चात उनके वारिसान क्रमशः श्रीमती रूकमणीदेवी@रूकमा धर्मपत्नी, श्रीमती सुनतीता आत्मजा श्री साहबराम धर्मपत्नी श्री रामगोपाल मण्डन सुथार, गुड़गावा, श्रीमती राजेश्वरी आत्मजा श्री साहबराम धर्मपत्नी श्री बाबूराम, सुथार, सूरतगढ पुत्री, श्री महेन्द्रकुमार आत्मज श्री साहबराम, सुथार, सिहाग कालोनी, श्रीगंगानगर एवं श्री जसवन्त आत्मज श्री साहबराम, सुथार, सिहाग कालोनी, श्रीगंगानगर को पत्रावली पर लिये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्री साहबराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2015 की चित्रित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी. जिस का विचारणोपरान्त आवेदनपत्र स्वीकार किया गया तथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया–

1. क्या चक 2 पी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के कुल खाता संख्या 62/70 मुरब्बा नम्बर 34.18 बीघा कृषि भूमि के पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 3, 4(2.00) बीघा, किला नम्बर 7(0.18) बीघा, किला नम्बर 14, 17, 18, 19(4.00) बीघा कुल 6.18 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई? जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज चला आ रहा है? **...प्रतिवादी–2**

2. क्या प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती शान्तिदेवी द्वारा अपने हिस्सा की पंजीबद्व दस्तबरदारी दिनांक 09 जुलाई, 2004 द्वारा अपने अधिकारों का प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में कुल 7.060 हैक्टर कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है? **...प्रतिवादी–2**

3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 3, 4(2.00) बीघा, किला नम्बर 7(0.18) बीघा, किला नम्बर 14, 17, 18, 19(4.00) बीघा कुल 6.18 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी एवं चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 34 व 45 की 7.060 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है? **...प्रतिवादी–2**

4. अनुतोष?

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 22 फरवरी, 2016 अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1ए(3) व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया विचाराधीन वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 2 श्री रायसाहब की दिनांक 18 अगस्त, 2015 को मृत्योपरान्त उसके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 2.1 से 2.5 को प्रतिपक्षकार प्रतिस्थापित किया गया है. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता श्री बीरबलराम की प्रश्नगत कृषि भूमि के विभाजन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादपत्र के साथ काउण्टर क्लेम प्रतिदावा प्रस्तुत कर रखा है. जिसमें श्री बीरबलराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के बंटवारा सम्बन्धी बंटवारानामा दिनांक 7 जनवरी, 1991 एवं श्री बीरबलराम का इकरारनामा दिनांक 24 अगस्त, 1996 एवं श्री बीरबलराम द्वारा अपनी सम्पत्ति की बाबत निष्पादित वसीयत दिनांक 11 नवम्बर 1993 एवं श्री बीरबलराम द्वारा किये गये विक्रय पत्र को भी प्रतिदावा का आधार बनाया गया है. श्री लालचन्द द्वारा अपना हिस्सा भूमि में लेने के बाद शेष भूमि में हिस्सा न लेने का शपथपत्र दिनांक 8 मार्च, 1989 नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया गया है. की चित्रित प्रति उपलब्ध करवायी गयी थी. श्रीमती शान्तिदेवी आत्मजा श्री बीरबलराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में अपने हिस्सा की दस्तबरदारी की गयी थी जिसे भी प्रस्तुत किया जा रहा है. इन प्रलेखों में से वादी द्वारा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वसीयतनामा मय शपथपत्र, श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित बैयनामा की प्रमाणित प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गयी है. वादी द्वारा इकरारनामा दिनांक 7 जनवरी, 1991 एवं दूसरा इकरारनामा दिनांक 24 अप्रेल, 1996 की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गयी. दोनों मूल इकरारनामा एवं बन्द वसीयतनामा एवं बैयनामा की प्रमाणित प्रतियां प्रतिवादी संख्या 2 के काउण्टर क्लेम की पुष्टि में प्रस्तुत किया जाना है. ये प्रलेख मूल एवं प्रमाणित प्रतियां हैं. इकरारनामा नोटेरी पब्लिक से सत्यापित है. बन्द वसीयत की प्रमाणित प्रति जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक कार्यालय से प्राप्त एवं प्रमाणित है इनके साथ कार्यालय की नोटशीट एवं बन्द वसीयत खोले जाने के आवेदनपत्र एवं साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जा रही है. इन प्रलेखों के फर्जी होने का कोई सन्देह नहीं है. यह प्रलेख पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 के अधिपत्य में थे, उनके अस्वस्थ होने से पेश नहीं किये जा सके थे. प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्योपरान्त प्रतिवादी संख्या 2.1 से 2.5 के पक्षकार स्थापित किये जाने पर प्रलेख प्रस्तुत किये जा रहे हैं. जो प्रतिदावा के निस्तारण में सहायक प्रलेख हैं जिनके प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी न्याय की दृष्टि से आवश्यक है. इस प्रकार संलग्न प्रलेखों को साक्ष्य प्रतिवादी में प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 सितम्बर, 1989, पंजीबद्व वसीयतनामा दिनांक 11 नवम्बर, 1992, श्री मनीराम द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 11 अगस्त, 1997, श्री बीरबलराम द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 11 नवम्बर, 1992, सरपंच, ग्राम पंचायत, रोहिड़ांवाली द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 7 अगस्त, 1997, श्री मनीराम द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 अगस्त, 1997, श्री रतनलाल द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 अगस्त, 1997, श्री हेमाराम द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 अगस्त, 1997, श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 नवम्बर, 1992, श्री हंसराज द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 नवम्बर, 1992, श्री लालचन्द द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 नवम्बर, 1992, श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित इकरारनामा दिनांक 7 जनवरी, 1991, दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 24 अगस्त, 1996, श्री लालचन्द द्वारा निष्पादित घोषणा पत्र दिनांक 8 मार्च, 1989, पंजीबद्व दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 09 जुलाई, 2004 सलंग्न प्रस्तुत किये गये.

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र पर अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 3 अगस्त, 2016 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया.

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2016 अन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया सहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वाद में मृतक श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 11 नवम्बर, 1992 साक्ष्य का बिन्दु है इस वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा चुकी है. मूल वसीयत जिला अभिलेखागार जिला पंजीयन कार्यालय में जमा है क्योंकि असल वसीयत मृतक श्री बीरबलराम द्वारा जमा करवायी गयी थी जो उसकी मृत्योपरान्त

खुलवाई गयी है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रस्तुत की गयी है. मूल वसीयत साक्ष्य के समय तलब की जानी आवश्यक है क्योंकि साक्ष्य असल वसीयत से ही होनी है. इस प्रकार बीरबलराम द्वारा वसीयत दिनांक 11 नवम्बर, 1992 मूल ही जिला अभिलेखागार से तलब किये जाने का निवेदन किया गया.

राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 25 अक्तूबर 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मूल वसीयत तलब किये जाने पर राज्यपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है.

जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा पत्रावली के अनुसार काउण्टरक्लेम कर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2016 को श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 11 नवम्बर, 1992 की प्रभारी अधिकारी, कार्यालय रिकार्ड, कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाणित चित्रित प्रति एवं उसके साक्षीगण के शपथपत्रों की चित्रित प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं. ऐसी स्थिति में, जिला पंजीयन कार्यालय, श्रीगंगानगर से मूल अभिलेख मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है. चूंकि प्रमाणित चित्रित प्रति मूल अभिलेख की ही चित्रित है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा ही प्रमाणित शुदा है. जिसे पत्रावली पर प्रदर्श के रूप में स्वीकार किया गया.

साक्ष्य काउण्टरक्लेमकर्ता हेतु श्री जसवन्त सुथार द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. चूंकि वादी अधिवक्ता द्वारा पूर्व में ही no instructions टिप्पणी अंकित की गयी है ऐसी स्थिति में साक्षी से जिरह शून्य की गयी. अभिलेख पंजीबद्व इकरारनामा दिनांक 07 जनवरी, 1991(प्रदर्श–2), दस्तावेज बैयनामा दिनांक 07 सितम्बर, 1989(प्रदर्श–3), पंजीबद्व वसीयतनामा दिनांक 11 नवम्बर, 1992(प्रदर्श–4), श्री बीरबलराम द्वारा श्रीमान जिला पंजीयन महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 11 सितम्बर, 1992(प्रदर्श–5), श्री मनीराम द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 अगस्त, 1997(प्रदर्श–6), श्री रतनलाल द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 11 अगस्त, 1997(प्रदर्श–7), श्री हेमाराम द्वारा निष्पादित शपथपत्र दिनांक 11 अगस्त, 1997(प्रदर्श–8), पंजीबद्व दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 9 जुलाई, 2004(प्रदर्श–9ए), दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 24 अगस्त, 1996(प्रदर्श–10), दस्तावेज घोषणापत्र शपथ दिनांक 8 मार्च, 1989(प्रदर्श–11) प्रदर्श करवाये गये.

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 1 अप्रेल, 2017 अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा काउण्टरक्लेम प्रस्तुत कर प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत स्व. श्री बीरबलराम द्वारा किये गये बंटवारानुसार एवं वसीयत के अनुसार वाद के पक्षकारान को प्राप्त होना अभिकथित किया गया है और प्रतिवादी श्री लालचन्द का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा था, जो स्व. श्री बीरबलराम ने अपने जीवनकाल में विक्रय कर विक्रय राशि श्री लालचन्द को दे दी थी और लालचन्द ने इस सम्बन्ध में घोषणापत्र/शपथपत्र दिनांक 08 मार्च, 1989 को निष्पादित किये गये जिनकी चित्रित प्रतियां प्राप्त कर मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है. मूल

घोषणापत्र/शपथपत्र श्री लालचन्द प्रतिवादी के अधिपत्य एवं अभिरक्षा में हैं. श्री लालचन्द उक्त वाद में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है. ऐसी स्थिति में मूल घोषणापत्र/शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने सम्भव नहीं हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणापत्र/शपथपत्र की चित्रित प्रतियों को द्वितीय साक्ष्य में न्याय की दृष्टि से स्वीकार किया जाना आवश्यक है. इस प्रकार घोषणापत्र/शपथपत्र दिनांक 8 मार्च, 1989 की चित्रित प्रतियां को द्वितीय साक्ष्य में स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया.

जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

काउण्टरक्लेमकर्ता अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किये गये कि श्री लालचन्द की साक्ष्य हो चुकी है इसलिये उसके द्वारा निष्पादित शपथपत्र को द्वितीय साक्ष्य में लिये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रही जिसके परिणामतः आवेदनपत्र दिनांक दिनांक 1 अप्रेल, 2017 अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम नस्तीबद्व किया गया.

काउण्टरक्लेमकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित आकर लिखित बहस एवं इस न्यायालय द्वारा आवेदनपत्र संख्या 327/2013 शीर्षक रायसाहब उर्फ साहबराम बनाम लालचन्द व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 सितम्बर, 2015 एवं मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगगानगर द्वारा अपील संख्या 136/2017 शीर्षक लालचन्द बनाम श्रीमी रूकमादेवी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2017 की प्रति प्रस्तुत की गयी. चूंकि मा. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2017 विविध प्रार्थनापत्र में जारी आदेश के विरूद्व जारी किया गया है जिसका मूल वाद के विनिश्चय पर कोई प्रभाव नहीं है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

काउण्टरक्लेमकर्मा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से साक्षी श्री राजाराम बिश्नोई द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. वादीगण द्वारा अपना वादपत्र पूर्व में ही प्रत्याहरित करने के कारण साक्षी से जिरह नही की गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 2 पी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के कुल खाता संख्या 62/70 मुरब्बा नम्बर 34.18 बीघा कृषि भूमि के पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 3, 4(2.00) बीघा, किला नम्बर 7(0.18) बीघा, किला नम्बर 14, 17, 18, 19(4.00) बीघा कुल 6.18 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई? जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज चला आ रहा है? ...प्रतिवादी–2

मृतक श्री बीरबलराम की मृत्यु दिनांक 09 जुलाई, 1997 को हुई तत्समय मृतक श्री बीरबलराम के वारिसान क्रमशः सर्वश्री मनीराम, श्री रायसाहब उर्फ साहबराम, श्री अमरचन्द, श्री लालचन्द, श्रीमती शान्तिदेवी, श्रीमती राधादेवी, श्रीमती गुड्डीदेवी हैं. तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समस्त वारिसान पैतृक सम्पत्ति के बहिस्सा बराबर बराबर हकदार हैं. तथा पैतृक सम्पत्ति में से मात्र अपने हिस्सा तक की कृषि भूमि की वसीयत ही निष्पादित की जा सकती है किन्तु समस्त पैतृक सम्पत्ति की बाबत वसीयत निष्पादित नहीं की जा सकती. यहां यह तथ्य भी अंकित किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी सह हिस्सेदार द्वारा दस्तावेज दस्तबरदारी किसी विशेष सहहिस्सेदार के पक्ष में नहीं की जा सकती बल्कि यदि किसी पक्ष द्वारा अपने पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्सा का परित्याग किया जाता है तो शेष समस्त हिस्सेदारान के पक्ष में ही परित्याग किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में, मृतक श्री बीरबलराम के नाम पर दर्ज चक 2 पी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1 से 7 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 10, 11, 14, 17 से 25 प्रत्येक सालम कुल 4.632 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 35 किला नम्बर 5/2(0.025) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 1 से 7(2.277) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 16(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 17 से 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24/2(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 25(0.228) हैक्टर, कुल 1.594 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 21(0.126) हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 72/25 में 0.051 हैक्टर कुल 8.705 हैक्टर तद्द्वारा 34.18 बीघा कृषि भूमि में से मृतक श्री बीरबलराम द्वारा अपने जीवनकाल में बिकीत चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 9 की 8.00 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 47 की 7.00 बीघा कुल 15.00 बीघा कृषि भूमि के बाद शेष 19.18 बीघा कृषि भूमि में मृतक श्री बीरबलराम के समस्त वारिसान बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त करने के अधिकारी हैं किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 श्री लालचन्द आत्मज श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित घोषणापत्र(शपथ दिनांक 8 मार्च, 1989(प्रदर्श–11) के अनुसार उसके द्वारा अपने पिता जीवनकाल आत्मज श्री भोमाराम की चल अचल सम्पत्ति में उसके द्वारा अपना हक लिया जा चुका है जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 विबन्धित होने के कारण अपने पिता श्री बीरबलराम की सम्पत्ति में से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 किसी भी दृष्टिकोण से 6.18 बीघा कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती शान्तिदेवी द्वारा अपने हिस्सा की पंजीबद्व दस्तबरदारी दिनांक 09 जुलाई, 2004 द्वारा अपने अधिकारों का प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में कुल 7.060 हैक्टर कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है?

...प्रतिवादी–2

विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार सह हिस्सेदार द्वारा दस्तावेज दस्तबरदारी किसी विशेष सहहिस्सेदार के पक्ष में नहीं की जा सकती बल्कि यदि किसी पक्ष द्वारा अपने पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्सा का परित्याग किया जाता है, तो शेष समस्त सह हिस्सेदारान के पक्ष में ही परित्याग किया जा सकता है. चूंकि प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती शान्तिदेवी द्वारा पंजीबद्व अभिलेख दस्तबरदारी दिनांक 09 जुलाई, 2014 द्वारा अपने पैतृक अधिकारों का प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण शेष सह हिस्सेदारान के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्सा को दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 09 जुलाई, 2004 के परिदृश्य अकेला प्राप्त करने का अधिकारी नही है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 3, 4(2.00) बीघा, किला नम्बर 7(0.18) बीघा, किला नम्बर 14, 17, 18, 19(4.00) बीघा कुल 6.18 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी एवं चक 2 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 34 व 45 की 7.060 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है? **...प्रतिवादी–2**

वादपत्र में अंकित तथ्यों कि मृतक श्री बीरबलराम द्वारा अपने नाम पर दर्ज पैतृक कृषि भूमि का अपने जीवनकाल में पारिवारिक रूप से घरू विभाजन किया गया था, का समर्थन मात्र श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित बन्द वसीयतनामा दिनांक 11 नवम्बर, 1992 में अंकित तथ्यों के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रतिवादपत्र एवं प्रतिदावा के तथ्यों से से ही होता है किन्तु प्रश्नगत कृषि भूमि श्री बीरबलराम की पैतृक सम्पत्ति थी जिसकी बाबत श्री बीरबलराम को मात्र अपने पुत्रों में विभाजन करने का कोई अधिकार उपलब्ध नही रहा है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में समस्त वारिसान बहिस्सा बराबर बराबर के अधिकारी हैं. इस प्रकार कथित पारिवारिक विभाजन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 प्रश्नगत पैतृक सम्पतित में से ¼ हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 2 काउण्टरक्लेमकर्ता के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार चूंकि चक 2 पी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1 से 7 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 10, 11, 14, 17 से 25 प्रत्येक सालम कुल 4.632 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 35 किला नम्बर 5/2(0.025) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 1 से 7(2.277) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 16(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 17 से 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24/2(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 25(0.228) हैक्टर, कुल 1.

594 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 21(0.126) हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 72/25 में 0.051 हैक्टर कुल 8.705 हैक्टर एतद्द्वारा 34.18 बीघा कृषि भूमि स्वर्गीय श्री बीरबलराम की पैतृक सम्पत्ति है जिसकी बाबत स्व. श्री बीरबलराम को पारिवारिक विभाजन एवं समस्त कृषि भूमि की बाबत वसीयत करने का कोई अधिकार नही था. इसके साथ ही विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी एक सह हिस्सेदार का किसी सह हिस्सेदार विशेष के पक्ष में अपने पैतृक अधिकारों का परित्याग नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में, तथाकथित पारिवारिक विभाजन, श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के साथ साथ निष्पादित पंजीबद्ध दस्तबरदारी निष्प्रभावी है तथा चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 श्री लालचन्द आत्मज श्री बीरबलराम द्वारा निष्पादित घोषणापत्र शपथ दिनांक 8 मार्च, 1989(प्रदर्श–11) पर विबन्धित होने के कारण अपने पैतृक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. ऐसी स्थिति में, वादपत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 05 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डाधिकारी
(फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर